न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(प्रेजाइडिंग अधिकारीः नारायण सिंह चारण, आर0ए0एस0)

अपील/82/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

सुरेश पुत्र कमल जाति गूर्जर निवासी मालीपुरा (शेरगढ) तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.09.2017 तहसीलदार बयाना मिसिल नम्बर 18/2017 उनवानी सरकार बनाम सुरेश अन्तर्गत राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1–श्री दुलीचन्द अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 16.10.2019**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 19.09.2017 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आदेश न्यायालय तहसीलदार बयाना दिनांक 19.09.2017 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है जो काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट के द्वारा सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलान्ट की पाटौर गैतवाडे पूर्वजों के समय से स्थित है, जिनमें करीब 70–80 वर्ष पूर्व से अपने पूर्वजों के समय से ही रिहायश करते चले

[illegible] रहे है, पशु बांधने व चारा रखने आदि के लिये काम में लेते आ रहे है, इसके [illegible] प्रार्थी के पास रहने, पशु बांधने व चारा रखने के लिये कोई अन्य जगह नहीं है, यदि अपीलान्ट के रहवास की भूमि को छीन लिया व उसे जेल भेज दिया तो उसका परिवार सडक, पर आ जावेगा व नष्ट हो जावेगा। पटवारी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसी के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलान्टस के विरुद्ध बेदखली के साथ 30 दिवस की सजा भी कर दी है। अधीनस्थ न्यायायल ने अपने स्तर पर प्रकरण की नियमानुसार जांच पडताल किये बिना अपीलान्ट पूर्वजो के समय से हुई तामीर को नीलाम करने व सजा करने के आदेश दिये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पश्चातवर्ती अतिकमी होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जब पूर्वजों के समय से रहवास के लिये पाटोर व पशु बांधने व चारा रखने के लिये गैतवाडा बना हुआ है तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्व में कब व कैसे बेदखल कर दिया यह बात स्पष्ट नहीं है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना अवैधानिक है व आदेश अधीनस्थ न्यायालय काविल खारिजी है। अपीलान्ट को इस बाबत कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया उसे साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया, उसका पक्ष जाने बिना मनमाने तरीके से स्थानीय राजनीतिक लोगों के साथ साज करके अपीलान्ट के विरूद्ध उसकी बैक पर कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को बेदखल करके सजा सुना दी है। यह प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विरूद्ध है व आदेश तहसीलदार बयाना काबिल खारिजी के है। आदेश इकतरफा है अपीलान्ट को इसका पता नहीं चल सका था अपीलान्ट को इसका पता दिनाक 31.10.17 को पुलिस वालो से चला तथा उसी दिनांक को उसने तहसील में जाकर कार्यवाही का पता लगाया तथा उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 31.10.2017 को प्राप्त हुई, इसे पढकर असल जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी के दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 19.09.2017 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी रकवें पर कोई अतिक्रमण नहीं है। भूमि की पैमाईश करा ले यदि सडक की भूमि हमारी भूमि में आती है तो हम भूमि छोड देगे। लगातार कब्जा करने एवं बेदखली का

... नहीं है इसलिये अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक... अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से ही छप्पर पोस डा... रहा है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई ... दिया गया है। अधीनस्थ अदालत ने मनमाने तरीके ... की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किय... वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.201... के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार... का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ अधीनस्थ अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अपीलान्ट के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि रास्ता की भूमि है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्ट राजकीय रास्ता की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 272/0.01 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन सडक वाकै ग्राम मालीपुरा (शेरगढ) पर अपीलान्ट द्वारा पाटौर 3 गह मुण्डी कर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया है कि भूमि की पेमाईश करा ले अपीलान्ट की भूमि में रास्ते की भूमि पाई जाती है तो वह छोडने को तैयार है। अपीलान्ट द्वारा भविष्य मे पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुये मौके से

अतिक्रमण हटाने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सशर्त–आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित की जाती है कि बाद जांच यदि मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो ही अपीलाधीन आदेश 19.09.2017 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को सुनाया गया।